some of the measures which have been taken for quickening the process of collection of outstation cheques. Banks have also been advised to extend the facility of immediate credit of outstation cheques upto Rs. 2500/- to individual account holders and pay interest at Savings Bank Rate for delayed collection of outstation cheques beyond 10/14 days. Implementation of these measures have reduced the delay in collection of outstation cheques.

The bank drafts are normally drawn at Bank's own branches. Whenever draft is required at a place where bank is not having a branch, the draft can be drawn on the other bank only if it has entered into some agency arrangement with that bank.

The public sector banks in the recent past have taken several measures to improve the quality and speed of their customer service. These measures broadly comprise of creation of necessary infrastructural facilities to improve the speed of meeting the needs of the customers, creation of internal and external grievances redressal machinery for prompt redressal of customer grievances and increased interface between the bank executives and their customers, so as to promote mutual goodwill and understanding. Evolution of time norms for redering common services, provision of facilitation desks for customers guidance in bigger branches, speedier collection of cheques, provision of nomination facility to customers on deposit accounts, provision of complaint boxes in branches and constitution of customer service committees, setting up of customer service centres at State Capitals and at other selated Centres, etc. are some of the spcific measures taken by the banks. Implementation of the various measures by the banks is also monitere by the Government and Reserve Bank of India on a continual basis.

नशीले पदार्थों का उत्पादन

*132. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में किन-किन स्थानों पर अफीम या अन्य नशीले पदार्थों का वैध अथवा अवैध रूप से उत्पादन किया जाता है ; और

(ख) देश में नशीले पदार्थों का वार्षिक उत्पादन कितना है और सरकार किस प्रकार उनका निपटारा करती है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) उन जिलों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें अफीम के उत्पादन हेतु अफीम-पोस्त की काश्त करने की अनुमति दी जाती है :—

राज्य का नाम	जिले का नाम
मध्य प्रदेश	मंदसौर, रतलाम, झबुआ, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर ।
राजस्थान	कोटा, बून्दी, चित्तोड़गढ़, झालवाड़, उदयपुर, भील-वाड़ा, बांसवाडा ।
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद, आजमगढ़, गाजी-पुर, बाराबंकी, लखनऊ, राय बरेली, शाहजहांपुर, बरेली, बदाऊं ।

निम्नलिखित संश्लिष्ट नशीले औषधि-द्रव्यों का प्रत्येक के सामने लिखित स्थानों पर उत्पादन किया जाता है :—

डक्सट्रोप्रोपेक्सीफीन	बम्बई, फरीदाबाद तथा हैदराबाद
डाईफिनोक्सीलेट	बम्बई
फथिडीन	कलकत्ता

नशीले औषधि-द्रव्यों के उत्पादन हेतु कैनबिस तथा कोका पौधों की काश्त

की मनाही है । जबकि कोका की अवैध काश्त किए जाने अथवा कोका व्युत्पादित पदार्थों (कोका डरीवेटिव्स) का अवैध रूप से उत्पादन किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, फिर भी ऐसी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में तथा देहरादून जिले की चकराता तहसील में अवैध रूप से अफीम-पोश्त की, मुख्यतया इसके बीजों के लिए काश्त की जा रही है । यह देखा गया है कि मिजोरम, मणिपुर तथा अरूणाचल प्रदेश राज्यों के कुछेक स्थानों पर भी अफीम पोश्त की अवध काश्त की जा रही है । केरल, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर राज्यों में कैनाबिस की अवैध काश्त किए जाने की सूचना मिली है । ऊपर लिखित संश्लिष्ट नशीले औषधि-द्रव्यों का अवध उत्पादन किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

वर्ष 1988-89 के दौरान कुल 488.065 मी० ट० मात्रा में (90° सी पर) अफीम का उत्पादन किया गया था । अफीम का उत्पादन मुख्यतया निर्यातोन्मुखी होता है, इसके अलावा, कुछ मात्रा में इसका प्रयोग अल्कालायड के निष्कर्षण तथा कतिपय बल्क ड्रग्स का उत्पादन करने के लिए सरकारी अफीम तथा अल्कालायड वर्क्स, गाजीपुर/नीमच में भी किया जाता है । वर्ष, 1989-90 के दौरान उत्पादित महत्वपूर्ण नशीले औषधि द्रव्यों के नाम एवं इनकी मात्रा का कोटा नीचे दिया गया है :—

कोडीन फोस्फेट	4716 किलोग्राम
कीडीन सल्फेट	503 किलोग्राम
मार्फीन लवण	203 किलोग्राम
डायोलीन	1135 किलोग्राम
थेबाइन	164 किलोग्राम

स्वदेशी औषध निर्माण उद्योग की मांग की पूर्ति करने के लिए उपर्युक्त औषधि द्रव्य सरकार द्वारा बेचे जाते हैं ।

जैसा कि नारकोटिक्स आयुक्त के कार्यालय को सूचित किया गया है, वर्ष 1989 में निम्नांलखित संश्लिष्ट नशीले औषध-द्रव्यों का उत्पादन निम्नानुसार किया गया :—

	किलोग्राम
डैक्सट्रोप्रोपोक्सीफीन	—39450.720
डाईफिनोक्सीलेट	— 1796.481
पथिडीन	— 456.750

चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए अन्य देश में चिकित्सा तथा वैज्ञानिक प्रयोजनोंक्त की मांग को पूरा करने केलिए उपरो औषधियों का उत्पादन किया जाता है ।

भारतीय रुपए का अवमूल्यन

*133. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्सी के दशक में भारतीय रुपये का मूल्य येन, मार्क, ब्रिटिश पौंड और अमरीकी डालर के मुकाबले काफी गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अवमूल्यन के कारण देश पर विदेशी कर्ज का भार भी बढ़ गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) नौवें दशक के दौरान भारतीय रुपये के मूल्य में येन की तुलना में 66 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमरीका डॉलर और ड्यूशमार्क प्रत्येक की तुलना में 51 प्रतिशत तथा पौंड स्टर्लिग की तुलना में 34 प्रतिशत की गिरावट आई ।